न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1156/2026
शिकायत वाद संख्या –1233/25

कैसर उर्फ कैशर आलम एवं 01 अन्य.....आवेदकगण।
बनाम
बिहार राज्य

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदकगण :– मो0 कामरूल इस्लाम, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

01.07.2026 आवेदकगण 1. कैसर उर्फ कैशर आलम पिता–फरमान, 2. बीबी जैनव, पति–कैसर सभी साकिन–प्रसादपुर डुमरिया, वार्ड नं0 09, थाना–महलगांव, जिला–अररिया, की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा–482(1) के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–26.05.2026, जो शिकायत वाद संख्या –1233/25 के अंतर्गत धारा 85 बी.एन.एस से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चूकी है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में शिकायत वाद यह है कि, अभियोगिनी की शादी दिनांक 21.02.2025 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ वाहिद आलम के साथ हुई थी। शादी के समय लगभग 5 लाख रूपये का सामान देकर अभियोगिनी को विदा किया। अभियोगिनी ससुराल गई। दुसरे दिन से हीं अभियुक्तगण उससे दहेज के रूप में 2 लाख की मांग करने लगे। रूपया नहीं दे पाने पर अभियुक्तगण अभियोगिनी के साथ मारपीट करते थे। पंचायती भी हुआ लेकिन अभियुक्तगण अपनी मांग पर अड़े रहे। दिनांक 31.05.2025 को उक्त मांग को लेकर अभियुक्तगण अभियोगिनी के साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देने लगे। पुनः पंचायती हुई लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने। दिनांक 01.06.2025 को अभियोगिनी के पति ने उसे चाकू का भय दिखाकर उससे सादा स्टाम्प पेपर एवं सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण की ओर से नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के खिलाफ सामान्य आरोप है और शिकायत याचिका में आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण ने दहेज की मांग करके कभी भी परिवादीनी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है। याचिका में लगाए गए आरोप झुठे और निराधार है। आवेदकगण, अभियोगिनी के सास एवं ससुर हैं । आवेदकगण अभियोगिनी और उसके पति से अलग रह रहे हैं। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, शिकायत वाद पत्र में सभी आवेदकगण नामजद अभियुक्त हैं एवं सभी अभियुक्तगण पर समान प्रकार का आरोप लगाया गया है, किसी भी व्यक्ति पर विशिष्टतः आरोप नहीं है। उपरोक्त वाद में आवेदकगण अभियोगिनी के सास ससुर हैं। वस्तुतः पत्नी को गरिमा एवं सम्मान के साथ रखने की जिम्मेदारी पति की होती है तथा इसके लिए अन्य कोई जिम्मेवार नहीं है।

लगातार

लगातार

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1156/2026

01.07.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में आवेदकगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभू सहित बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. की शर्तो के साथ आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–

1– आवेदकगण का एक जमानतदार उसका रिश्तेदार होगा।
2– विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।